यह निरीक्षण आख्या राजकीय इंटर कॉलेज कर्णप्रयाग चमोली के माह 11/2012से 01/2019 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार की गई है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

राजकीय इंटर कॉलेज कर्णप्रयाग चमोली के अवधि की माह 11/2012 से 01/2019 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन श्री डी॰के॰मट्टू ,श्री प्रहलाद सिंह सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 06/02/2019 से 08/02/2019 तक श्री राम सनेही लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

परिचयात्मकः इस इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है|

1. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र, प्रधानाचार्य द्वारा संचालित राजकीय इंटर कॉलेज मे शिक्षा की गुणवत्ता मे सुधार लाना,एवं शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का ,एवं सौंपे गये दायित्वो का पालन करना । वर्तमान मे राजकीय इंटर कॉलेज कर्णप्रयाग जनपद चमोली स्थित हैं|

(i) **(अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः**

(धनराशि रू में)

वर्ष	आवंटन		व्यय		बचत /अभ्यर्पण	
	स्थापना	गैर स्थापना	स्थापना	गैर स्थापना	स्थापना	गैर स्थापना
2015-16	18112539	304067	18112539	304067	0	0
2016-17	18568406	37348	18568406	37348	0	0
2017-18	21493901	153584	21493901	153584	0	0
2018-19 (जनवरी तक)	23995000	556975	20448620	533242	-	-

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

--------------- शून्य ------------------

(ii)इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई की श्रेणी "सी" है।

(iv) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव (माध्यमिक शिक्षा)

↓

महानिदेशक(माध्यमिक शिक्षा)

↓

निदेशक(माध्यमिक शिक्षा)

↓

अपर निदेशक(माध्यमिक शिक्षा)

↓

मुख्यशिक्षा अधिकारी(माध्यमिक शिक्षा)

↓

जिला शिक्षाअधिकारी (माध्यमिक शिक्षा)

↓

खंडशिक्षा अधिकारी

↓

प्रधानाचार्य

(v) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में राजकीय इंटर कॉलेज कर्णप्रयाग जनपद चमोली की लेन देन की लेखापरीक्षा को आच्छादित किया गया है । समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन राजकीय इंटर कॉलेज कर्णप्रयाग जनपद चमोली की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षो पर आधारित है। माह 09/2012,09/2015,03/2018,12/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया उक्त माहों का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन सर्वाधिक व्यय के आधार पर किया गया।

(vi) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक- महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-1 - धनराशि रु. 2.51 के वाउचर्स लेखापरीक्षा में उपलब्ध न कराया जाना।

शासनादेश संख्या /358xxvii/6/2011 दिनांक 23.09.2011 के नियमानुसार भुगतान से संबंधित पत्रावली, बिल वाउचर, -11सी, BM-4, BM-5 तथा कैश बुक इकाई के पास होना अनिवार्य है। विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, कर्णप्रयाग, चमोली के अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि निम्नलिखित medical reimbursement के बिल वाउचर रिकार्ड में नहीं पाए गये।

Sr. No.	Bill No.	Date	Amount	Items
01	Nil	08.09.2015	Rs. 251933/-	Medi. Reimbursement
Total			Rs. 2,51,933/-	

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर लेखापरीक्षा की आपत्ति विभाग द्वारा स्वीकार की गयी और बताया गया कि कार्यालय में कागजात अस्त व्यस्त होने के कारण बिल वाउचर नहीं मिल पा रहे है। मूल बिल वाउचर ट्रेजरी बिल के साथ संलग्न किया गया फोटो कॉपी प्राप्त होने पर महालेखाकार को उपलब्ध करा दिया जायेगा। इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि इकाई द्वारा जो भी भुगतान किया जाये उसकी छायाप्रति उनके रिकार्ड/गार्ड फाइल रखना अनिवार्य है तथा इकाई द्वारा उपरोक्त बिल वाउचर प्रेषित नहीं करना इकाई की शिथिलता प्रकट करता है। अतः धनराशि रु. 2.51 लाख अनियमित का प्रकरण उच्चाधिकारियों के प्रकाश में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर 1 – कर निर्धारण वर्ष की अनुमानित आय का निर्धारित प्रतिशत से कम अग्रिम कर का विलम्बित भुगतान रुपये 1.55 लाख।

आयकर अधिनियम के अनुच्छेद 44 ADA (I) पैरा 150 के अनुसार जो आयकर दाता कर भुगतान के लिए उत्तरदाई है, चालू वर्ष की अनुमानित आय पर देय कर की गणना के पश्चात अग्रिम कर भुगतान निम्न सारणी के अनुसार भुगतान किए जाने हेतु प्रावधानित है।

अवधि	**पूरे वर्ष में देय आयकर का अग्रिम भुगतान %**
15 सितम्बर तक या पूर्व	30 %
15 दिसंबर तक या पूर्व	60 %
15 मार्च तक या पूर्व	100 %

उपरोक्त सारणी के अनुसार पूरे वर्ष की अनुमानित आय का 30 प्रतिशत अग्रिम भुगतान 15 सितम्बर तक अथवा उससे पूर्व, एवं पूरे वर्ष की अनुमानित आय का 60 प्रतिशत अग्रिम भुगतान 15 दिसम्बर तक अथवा उससे पूर्व, इसी प्रकार पूरे वर्ष की अनुमानित आय का 100 प्रतिशत कर का भुगतान 15 मार्च तक अथवा उससे पूर्व आयकर विभाग के लेखाशीर्ष 0021 (आय पर कर) में जमा किया जाना अनिवार्य है । पूरे वर्ष की अनुमानित आय का निर्धारित प्रतिशत से कम कर का अग्रिम भुगतान, उपरोक्त अवधि के बाद किया जाना आयकर का विलम्बित भुगतान की श्रेणी में आता है ।

प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कालेज कर्णप्रयाग, चमोली के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि संस्थान में कार्यरत शिक्षकों / शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन से आय पर कर उपरोक्त सारणी के अनुसार निर्धारित प्रतिशत से कम अग्रिम भुगतान किया जा रहा था। जो आयकर का विलम्बित भुगतान रुपये 155198 था । लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वतः स्वीकार किया गया और कहा गया कि, आयकर नियमों की जानकारी के अभाव में अग्रिम कर का भुगतान वेतन से कटौती के अनुसार किया गया । अतः पूरे वर्ष की अनुमानित आय का निर्धारित प्रतिशत से कम अग्रिम कर का रुपये 1.55 लाख का भुगतान विलम्बित भुगतान का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है ।

भाग-III

(i) विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II'ब' प्रस्तर संख्या	अनुपूरक नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी
इकाई की प्रथम लेखा परीक्षा हैं|			

(ii) विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन सं०	प्रस्तरसंख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
इकाई की प्रथम लेखा परीक्षा हैं|				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

-शून्य-

भाग-V

आभार

कार्यालय प्रधान महालेखाकार लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में)अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु राजकीय इंटर कॉलेज कर्णप्रयाग जनपद चमोलीमें पाये करता है। तथापि लेखापरीक्षा में गये निष्कर्षों पर आधारित तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः-

(i) शून्य

1. सतत् अनियमितताएः

(i) शून्य

2. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा आहरण वितरण अधिकारी का कार्यभार वहन किया गया |**

3.

क्रम स°	**नाम**	**पदनाम**	**अवधि**
1-	श्री एम°एन°नौटियाल	प्रभारी	13-09-2012से 11-08-2013
2-	श्री रमेश चंद्र कोठियाल	प्रधानाचार्य	12-08-2013 से 31-03-2017
3-	श्री गिरीश चंद्र डिमरी	प्रभारी	01-04-2017 से 14-10-2017
4-	श्री वीरपाल सिंह रावत	प्रभारी	15-10-2017 से वर्तमान तक
5-	श्री श्रीमती संगीता विजल्वाण,	प्रधानाचार्य रा0वा0इ0का0 कर्णप्रयाग (आहरण वितरण अधिकारी)	

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति राजकीय इंटर कॉलेज कर्णप्रयाग जनपद चमोली को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार सामाजिक क्षेत्र कार्यालय प्रधान महालेखाकर(ले°प°) उत्तराखंड महालेखाकार भवन कौलागढ़ देहारादून-248195 को प्रेषित करना सुनिश्चित करे |

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.